मुख्यमंत्री राहत कोष

••• बिहार •••

न्यासी पर्षद की 20वीं बैठक

दिनांक : 22—05—2020

कार्यवाही

क्र0 सं0	प्रस्ताव	न्यासी पर्षद का निर्णय
1.	विगत बैठक की कार्यवाही की सम्पुष्टि।	कार्यवाही को सम्पुष्ट किया गया।
2.	विगत बैठक की कार्यवाही का अनुपालन प्रतिवेदन।	प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया।
3.	मुख्य मंत्री राहत कोष की लेखा में प्राप्त राशि, वितरित राशि एवं शेष जमा राशि के प्रतिवेदन का उपस्थापन।	सूचना ग्रहण की गयी।
4.	कोशी बाढ़ 2008 में प्रभावित सहरसा, मधेपुरा एवं सुपौल जिला में बाढ़ आश्रय स्थल/पशु आश्रय स्थल के निर्माण के क्रम में भूमि क्रय के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष से आवंटित राशि 21.00 करोड़ रू0 में से अव्यवहृत राशि 8.4055622 करोड़ रू0 को ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा चेक के माध्यम से लौटाया गया है। चेक की राशि को मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा कराया जा चुका है।	सूचना ग्रहण की गयी। यह निर्णय लिया गया कि निर्मित भवन संरचना एवं संपत्ति (भूमि सहित) का स्वामित्व आपदा प्रबंधन विभाग का होगा एवं भवन के रख–रखाव की जिम्मेवारी संबंधित पंचायत की होगी। आश्रय स्थल से प्राप्त आय का उपयोग पंचायत इसके रख–रखाव पर करेगी। संबंधित जिला पदाधिकारी इसका पर्यवेक्षण करते रहेंगे।
5.	आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–1047 दिनांक 06.03.2020 द्वारा 10 बाढ़ प्रभावित जिलों में 100 बाढ़ आश्रय स्थल के निर्माण के क्रम में भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना द्वारा राशि 29,45,67,059/–रू0 की अधियाचना के आलोक में उक्त राशि उपलब्ध कराने की मांग मुख्यमंत्री राहत कोष से की गयी है। ज्ञात हो कि प्रथम किस्त के रूप में राशि 10.00 करोड़ रू0 की विमुक्ति मुख्यमंत्री राहत कोष से आपदा प्रबंधन विभाग, पटना को इस सचिवालय के पत्रांक–470329 दिनांक 20.04.2018 द्वारा की जा चुकी है। आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना की उक्त अधियाचना के आलोक में बाढ़ आश्रय स्थल निर्माण हेतु मुख्यमंत्री राहत कोष से अधियाचित राशि कुल 29,45,67,059/–रू0 (उनतीस करोड़ पैंतालीस लाख सड़सठ हजार उनसठ) रूपये मात्र की राशि विमुक्त कर इस सचिवालय के पत्रांक–471111, दिनांक 09.03.2020 द्वारा प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना को भेजी गयी।	सूचना ग्रहण की गयी।
6.	(i) न्यासी पर्षद की 15 वीं बैठक के निर्णयानुसार प्रत्येक वर्ष के जनवरी माह में उच्चतम ब्याज दर देने वाले बैंक में मुख्यमंत्री राहत कोष की 90% राशि सावधि जमा के रूप में रखने का प्रावधान है। समय–समय पर मुख्यमंत्री राहत कोष की सावधि जमा के रूप में रखी गयी निधि की परिपक्वता के उपरांत स्थायित्व, साख को देखते हुए बैंकों से उच्च ब्याज दर प्राप्त कर तथा मुख्यमंत्री राहत कोष का फंड मैनेज करने के लिए अधिकृत वित्त विभाग की सहमति से चयनित बैंकों में राशि जमा की जाती है।	सूचना ग्रहण की गयी।
	(ii) ICICI Bank तथा HDFC Bank द्वारा मुख्यमंत्री राहत कोष, बिहार, पटना के नाम से एक–एक Saving Account खोला गया है, जिसमें ICICI Bank के द्वारा दिये गये दान की राशि 5.00 करोड़ तथा HDFC Bank द्वारा दिये गये दान की राशि 4.00 करोड़ जमा है। उक्त दोनों खातों का उपयोग मुख्यमंत्री राहत कोष, बिहार में दान राशि एकत्रित करने में भी किया जायेगा।	सूचना ग्रहण की गयी।

	(iii) विगत वर्षों में विभिन्न बैंकों यथा :– Yes Bank, Punjab National Bank, Punjab & Maharashtra Co-operative Bank की खराब वित्तीय स्थिति एवं अनियमितता की सूचना समाचार पत्रों के माध्यम से प्राप्त हो रही है। अतएव मुख्यमंत्री राहत कोष, बिहार की कुल राशि एक ही बैंक (IDBI Bank Ltd.) में रखा जाना सुरक्षा के दृष्टिकोण से सही प्रतीत नहीं हो रहा है। अतः वित्त विभाग, बिहार, पटना से प्राप्त परामर्श के अनुसार, ब्याज दर एवं सुरक्षा के दृष्टिकोण से मुख्यमंत्री राहत कोष, बिहार की जमा राशि को SBI, ICICI Bank, HDFC Bank तथा IDBI Bank में अनुपातिक रूप से सावधि जमा में रखने का निर्णय लिया गया है। वित्त विभाग के परामर्शानुसार इस सचिवालय के पत्रांक–471197, दिनांक 20.04.2020 द्वारा मुख्यमंत्री राहत कोष की कुल राशि में से निम्नरूपेण अन्य बैंकों में राशि स्थानांतरित करने का आदेश दिया गया है।	सूचना ग्रहण की गयी।

क्र०सं०	बैंक का नाम	स्थानांतरित राशि रू0 में
1.	ICICI Bank, Boring Road Branch, Patna	1,55,02,11,947.50
2.	HDFC Bank, Boring Road Branch, Patna	1,45,89,87,669.50
3.	SBI, Secretariat Branch, Patna	85,75,69,918.35

7.	दिनांक 14.02.2019 को पुलवामा (जम्मू कश्मीर) में आतंकी हमले में बिहार के दो सी0आर0पी0एफ0 जवानों श्री रतन ठाकुर, जिला–भागलपुर तथा श्री संजय कुमार सिन्हा, जिला–पटना के शहीद होने के उपरांत बिहार के माननीय मुख्यमंत्री द्वारा बिहार के शहीदों (मृतकों) के आश्रितों को मुख्यमंत्री राहत कोष से पच्चीस–पच्चीस लाख रूपये अनुग्रह अनुदान देने की घोषणा की गयी थी। तत्पश्चात् उक्त संदर्भ में संबंधित जिला पदाधिकारियों को मुख्यमंत्री राहत कोष से स्वीकृत कर भेजी गयी राशि की विवरणी निम्नानुसार है :–	स्वीकृत।

क्र०सं०	जिला पदाधिकारी	स्वीकृत्यादेश सं0 / तिथि	स्वीकृत राशि
1.	भागलपुर	470130 / 19.02.2019	25.00 लाख
2.	पटना	470131 / 19.02.2019	25.00 लाख

इसकी घटनोत्तर स्वीकृति न्यासी पर्षद से प्रार्थित है।

8.	दिनांक 01.03.2019 को कुपवाड़ा (जम्मू कश्मीर) में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में बिहार के एक सी0आर0पी0एफ0 जवान श्री पिन्टु कुमार सिंह, जिला–बेगूसराय के शहीद होने के उपरांत बिहार के माननीय मुख्यमंत्री द्वारा बिहार के शहीद (मृतक) के आश्रित को मुख्यमंत्री राहत कोष से पच्चीस लाख रूपये अनुग्रह अनुदान देने की घोषणा की गयी थी। उक्त संदर्भ में जिला पदाधिकारी बेगूसराय से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में 01 शहीद (मृतक) के आश्रित को मुख्यमंत्री राहत कोष से **कुल 25.00 लाख** (पच्चीस लाख) रू0 की राशि विमुक्त कर इस सचिवालय के पत्रांक–470218, दिनांक 03.03.2019 द्वारा जिला पदाधिकारी, बेगूसराय को भेजी गयी। इसकी घटनोत्तर स्वीकृति न्यासी पर्षद से प्रार्थित है।	स्वीकृत।
9.	दिनांक 16.07.2017 को अमरनाथ यात्रा के क्रम में जम्मू क्षेत्रान्तर्गत हुई बस दुर्घटना में बिहार राज्य के तीर्थयात्रियों की मृत्यु एवं घायल होने के फलस्वरूप माननीय मुख्यमंत्री, बिहार द्वारा मृतक के आश्रितों को रू0 4.00 लाख एवं घायल व्यक्तियों को रू0 50,000/– की दर से अनुग्रह अनुदान के भुगतान की घोषणा की गयी थी। उक्त संदर्भ में स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, नई दिल्ली के पत्रांक–1300/स्था0आ0, दिनांक 01.11.2017 द्वारा बिहार के 04 घायल व्यक्तियों को राशि 50,000/–(पचास हजार) रू0 प्रति व्यक्ति की दर से कुल 2.00 (दो) लाख रू0 की तत्काल सहायता तथा संविदा पर कार्यरत कर्मी के आवागमन में कुल 10,043/–(दस हजार तैंतालीस) रू0 अर्थात कुल 2,10,043/– (दो लाख दस हजार तैंतालीस) रू0 की राशि व्यय राशि के समायोजन हेतु मुख्यमंत्री राहत कोष से **कुल रू0**	स्वीकृत।

<table>
<tr><td></td><td>2,10,043/– (दो लाख दस हजार तैंतालीस) मात्र की राशि विमुक्त कर इस सचिवालय के पत्रांक–470319, दिनांक 09.04.2019 द्वारा स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, नई दिल्ली को भेजी गयी।
इसकी घटनोत्तर स्वीकृति न्यासी पर्षद से प्रार्थित है।</td><td></td></tr>
<tr><td>10.</td><td>माननीय मुख्यमंत्री द्वारा दिनांक 25.04.2015 एवं 12.05.2015 को नेपाल में आये भूकम्प में बिहार में मृत व्यक्तियों के आश्रितों को प्रति मृतक 4.00 लाख रू0 की दर से मुख्यमंत्री राहत कोष से दिये जाने की घोषणा की गयी थी।
जिला पदाधिकारी, पश्चिमी चम्पारण, बेतिया के पत्रांक– 28/आ0प्र0, दिनांक 23.03.2019 द्वारा दिनांक 25.04.2015 एवं 12.05.2015 को नेपाल में आये भूकम्प में पश्चिमी चम्पारण जिला के 3 मृतकों के आश्रितों को प्रति मृतक 4.00 लाख रू0 की दर से कुल 12.00 लाख रू0 मात्र की राशि मुख्यमंत्री राहत कोष से उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है। उक्त प्रतिवेदन के आलोक में 3 मृतकों के आश्रितों को मुख्यमंत्री राहत कोष से कुल 12.00 लाख (बारह लाख) रू0 की राशि विमुक्त कर इस सचिवालय के पत्रांक–470366, दिनांक 08.05.2019 द्वारा जिला पदाधिकारी, पश्चिमी चम्पारण, बेतिया को भेजी गयी।
इसकी घटनोत्तर स्वीकृति न्यासी पर्षद से प्रार्थित है।</td><td>स्वीकृत।</td></tr>
<tr><td>11.</td><td>दिनांक 10.06.2019 को हजारीबाग (झारखण्ड) में भीषण सड़क हादसे में बिहार के यात्रियों की मृत्यु होने के उपरान्त बिहार के माननीय मुख्यमंत्री द्वारा बिहार के सभी 7 मृतकों के आश्रितों को मुख्यमंत्री राहत कोष से एक–एक लाख रूपये की दर से अनुग्रह अनुदान देने की घोषणा की गयी थी।
तत्पश्चात् उक्त संदर्भ में संबंधित जिला पदाधिकारियों को मुख्यमंत्री राहत कोष से स्वीकृत कर भेजी गयी राशि की विवरणी निम्नानुसार है :–
<table>
<tr><th>क्र० सं०</th><th>जिला पदाधिकारी</th><th>मृतक की संख्या</th><th>स्वीकृत्यादेश सं0/तिथि</th><th>स्वीकृत राशि</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>जहानाबाद</td><td>2</td><td>470422/12.06.2019</td><td>02.00 लाख</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>गया</td><td>5</td><td>470431/13.06.2019</td><td>05.00 लाख</td></tr>
<tr><td></td><td>कुल</td><td>7</td><td></td><td>07.00 लाख</td></tr>
</table>
इसकी घटनोत्तर स्वीकृति न्यासी पर्षद से प्रार्थित है।</td><td>स्वीकृत।</td></tr>
<tr><td>12.</td><td>ए0ई0एस0 (Acute Encephalitis Syndrome) से प्रभावित बिहार के विभिन्न जिलों में मृत 136 बच्चों के माता–पिता/अभिभावकों को माननीय मुख्यमंत्री द्वारा मुख्यमंत्री राहत कोष से चार–चार लाख रूपये की दर से अनुग्रह अनुदान दिये जाने की घोषणा दिनांक 15.06.2019 को की गयी थी।
तत्पश्चात् उक्त संदर्भ में संबंधित जिला पदाधिकारियों को मुख्यमंत्री राहत कोष से स्वीकृत कर भेजी गयी राशि की विवरणी निम्नानुसार है :–
<table>
<tr><th>क्र० सं०</th><th>जिला पदाधिकारी</th><th>मृतक की संख्या</th><th>स्वीकृत्यादेश सं0/तिथि</th><th>स्वीकृत राशि</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>मुजफ्फरपुर</td><td>100</td><td>470440/17.06.2019</td><td>400.00 लाख</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>मोतिहारी</td><td>11</td><td>470450/24.06.2019</td><td>44.00 लाख</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>मोतिहारी</td><td>6</td><td>470462/29.06.2019</td><td>24.00 लाख</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>बेतिया</td><td>2</td><td>470463/29.06.2019</td><td>08.00 लाख</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>मोतिहारी</td><td>4</td><td>470504/23.07.2019</td><td>16.00 लाख</td></tr>
<tr><td>6.</td><td>शिवहर</td><td>1</td><td>470505/23.07.2019</td><td>04.00 लाख</td></tr>
<tr><td>7.</td><td>मोतिहारी</td><td>1</td><td>470562/08.08.2019</td><td>04.00 लाख</td></tr>
<tr><td>8.</td><td>मुजफ्फरपुर</td><td>5</td><td>470819/13.11.2019</td><td>20.00 लाख</td></tr>
<tr><td>9.</td><td>मुजफ्फरपुर</td><td>3</td><td>470928/23.12.2019</td><td>12.00 लाख</td></tr>
<tr><td>10.</td><td>मुजफ्फरपुर</td><td>3</td><td>470971/20.01.2020</td><td>12.00 लाख</td></tr>
<tr><td></td><td>कुल</td><td>136</td><td></td><td>544.00 लाख</td></tr>
</table>
इसकी घटनोत्तर स्वीकृति न्यासी पर्षद से प्रार्थित है।</td><td>स्वीकृत।</td></tr>
</table>

13. दिनांक 29.06.2019 को पुणे (महाराष्ट्र) कोंढ़वा में दीवार गिरने की दुर्घटना में बिहार के 15 मृतकों के आश्रितों/अभिभावकों को प्रति मृतक 2.00 लाख रू0 तथा घायलों को प्रति व्यक्ति 50000/–रू0 की दर से मुख्यमंत्री राहत कोष से आर्थिक सहायता दिये जाने की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री, बिहार द्वारा की गयी थी।
तत्पश्चात् उक्त संदर्भ में संबंधित जिला पदाधिकारियों को मुख्यमंत्री राहत कोष से स्वीकृत कर भेजी गयी राशि की विवरणी निम्नानुसार है :–

क्र० सं०	जिला पदाधिकारी	मृतक की संख्या	घायलों की संख्या	स्वीकृत्यादेश सं0/तिथि	स्वीकृत राशि
1.	सारण, छपरा	2	0	470464/29.06.2019	04.00 लाख
2.	कटिहार	12	0	470465/29.06.2019	24.00 लाख
3.	वैशाली	1	0	470466/29.06.2019	02.00 लाख
	कुल	**15**	**0**		**30.00 लाख**

इसकी घटनोत्तर स्वीकृति न्यासी पर्षद से प्रार्थित है।

स्वीकृत।

14. दिनांक 08.12.2019 को दिल्ली में हुए भीषण अग्निकांड में बिहार के 37 मृतकों के आश्रितों को माननीय मुख्यमंत्री द्वारा मुख्यमंत्री राहत कोष से प्रति मृतक 1.00 लाख (एक लाख) रू0 की दर से अनुग्रह अनुदान दिये जाने की घोषणा की गयी थी।
तत्पश्चात् उक्त संदर्भ में संबंधित जिला पदाधिकारियों को मुख्यमंत्री राहत कोष से स्वीकृत कर भेजी गयी राशि की विवरणी निम्नानुसार है :–

क्र० सं०	जिला पदाधिकारी	मृतक की संख्या	स्वीकृत्यादेश सं0/तिथि	स्वीकृत राशि
1.	अररिया	1	470894/10.12.2019	01.00 लाख
2.	मुजफ्फरपुर	3	470895/10.12.2019	03.00 लाख
3.	समस्तीपुर	14	470896/10.12.2019	14.00 लाख
4.	सहरसा	9	470897/10.12.2019	09.00 लाख
5.	बेगूसराय	1	470898/10.12.2019	01.00 लाख
6.	दरभंगा	2	470899/10.12.2019	02.00 लाख
7.	मधुबनी	1	470900/10.12.2019	01.00 लाख
8.	सीतामढ़ी	6	470901/10.12.2019	06.00 लाख
	कुल	**37**		**37.00 लाख**

इसकी घटनोत्तर स्वीकृति न्यासी पर्षद से प्रार्थित है।

स्वीकृत।

15. आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना से प्राप्त दिशानिर्देश के आलोक में राज्य में आयी बाढ़ के दौरान राहत शिविरों में लड़के/लड़कियों के जन्म लेने पर निर्धारित राशि (लड़का 10,000/–रू० एवं लड़की 15,000/–रू०) एवं राहत शिविर में प्रभावित लोगों के लिए बर्तन एवं वस्त्र आदि के क्रय हेतु निर्धारित दर (600/–रू० प्रति व्यक्ति) का भुगतान मुख्यमंत्री राहत कोष से किया जायेगा।
वर्ष 2019 में राज्य में आई बाढ़ के दौरान विभिन्न जिला पदाधिकारियों के द्वारा बाढ़ पीड़ितों हेतु बर्तन एवं वस्त्र आदि के क्रय तथा राहत शिविर/केन्द्र में जन्म लेने वाले बच्चों के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष से उक्त निर्धारित दर अनुसार राशि की मांग की गयी है। तत्पश्चात् उक्त संदर्भ में संबंधित जिला पदाधिकारियों को मुख्यमंत्री राहत कोष से स्वीकृत कर भेजी गयी राशि की विवरणी निम्नानुसार है :–

क्र०सं०	जिला पदाधिकारी	स्वीकृत्यादेश सं0/तिथि	स्वीकृत राशि
1.	भागलपुर	470927/23.12.2019	41,13,000/–रू०
2.	दरभंगा	470993/31.01.2020	2,10,000/–रू०

इसकी घटनोत्तर स्वीकृति न्यासी पर्षद से प्रार्थित है।

स्वीकृत।

16. आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–4346/आ0प्र0, दिनांक 24.12.2019 द्वारा बज्रपात पूर्वानुमान चेतावनी प्रणाली के अधिष्ठापन के संबंध में Earth Networks, INC, USA एवं Qihou Soloutions, Bengaluru के साथ हुए MoU के अनुसार Earth Networks, INC, USA को वर्तमान त्रैमासिक किस्त के रूप में 11,50,500/–रू0 (जी.एस.टी. सहित) तथा Qihou Soloutions, Bengaluru को प्रथम किस्त के रूप में 4,13,000/–रू0 (जी.एस.टी.सहित) के भुगतान हेतु अर्थात कुल राशि 15,63,500/–रू0 की अधियाचना मुख्यमंत्री राहत कोष से की गयी है।

आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–4346/आ0प्र0, दिनांक 24.12.2019 के आलोक में आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना को बज्रपात पूर्वानुमान चेतावनी प्रणाली के अधिष्ठापन हेतु मुख्यमंत्री राहत कोष से कुल राशि 15,63,500/–(पन्द्रह लाख तिरेसठ हजार पाँच सौ) रूपये मात्र की राशि विमुक्त कर इस सचिवालय के पत्रांक–470945 दिनांक 03.01.2020 द्वारा प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना को भेजी गयी।

इसकी घटनोत्तर स्वीकृति न्यासी पर्षद से प्रार्थित है।

कार्यवाही: निर्णय हुआ कि उक्त चेतावनी प्रणाली का अधिष्ठापन आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा अपने बजटीय उपबंध से वहन कर करना उचित होगा। मुख्यमंत्री राहत कोष से पूर्व में इस मद में दी गयी राशि आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा वापस की जायेगी। साथ ही, भविष्य में इस प्रणाली पर आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना द्वारा खर्च किया जायेगा।

17. दिनांक 12.02.2020 को दिल्ली से बिहार आ रही बस का फिरोजाबाद में आगरा–लखनऊ एक्सप्रेस वे पर हुई दुर्घटना में बिहार के मृतकों के आश्रितों को माननीय मुख्यमंत्री द्वारा मुख्यमंत्री राहत कोष से प्रति मृतक 2.00 लाख (दो लाख) रू0 की दर से तथा गंभीर रूप से घायलों को प्रति व्यक्ति 50,000/–रू0 की दर से अनुग्रह अनुदान दिये जाने की घोषणा की गयी थी।

तत्पश्चात् उक्त संदर्भ में संबंधित जिला पदाधिकारियों को मुख्यमंत्री राहत कोष से स्वीकृत कर भेजी गयी राशि की विवरणी निम्नानुसार है :–

क्र० सं०	जिला पदाधिकारी	मृतक की संख्या	घायलों की संख्या	स्वीकृत्यादेश सं०/तिथि	स्वीकृत राशि
1.	मोतिहारी	8	0	471031/14.02.2020	16.00 लाख
2.	शिवहर	2	0	471032/14.02.2020	04.00 लाख
3.	पटना	1	0	471033/14.02.2020	02.00 लाख
4.	मुजफ्फरपुर	1	0	471034/14.02.2020	02.00 लाख
5.	दरभंगा	1	0	471035/14.02.2020	02.00 लाख
6.	गोपालगंज	1	0	471036/14.02.2020	02.00 लाख
	कुल	**14**	**0**		**28.00 लाख**

इसकी घटनोत्तर स्वीकृति न्यासी पर्षद से प्रार्थित है।

कार्यवाही: स्वीकृत।

18. माननीय मुख्यमंत्री, बिहार द्वारा कोरोना वायरस (COVID-19) से मृत व्यक्ति के आश्रित को मुख्यमंत्री राहत कोष से राशि 4.00 लाख (चार लाख) रू0 प्रति मृतक की दर से आर्थिक सहायता दिये जाने की घोषणा की गयी थी।

जिला पदाधिकारी, मुंगेर के पत्रांक–286/आ०प्र०, दिनांक 23.03.2020 द्वारा सैफ अली, ग्राम–चुरंबा, अंचल–सदर मुंगेर की मृत्यु कोरोना वायरस (COVID-19) से होने की सूचना दिये जाने के आलोक में मुख्यमंत्री राहत कोष से 4.00 लाख (चार लाख) रूपये मात्र की राशि विमुक्त कर इस सचिवालय के पत्रांक–471166, दिनांक 24.03.2020 द्वारा जिला पदाधिकारी, मुंगेर को भेजी गयी।

इसकी घटनोत्तर स्वीकृति न्यासी पर्षद से प्रार्थित है।

कार्यवाही: स्वीकृत।

19. माननीय मुख्यमंत्री, बिहार द्वारा लिए गए निर्णय के आलोक में कोरोना वायरस (COVID-19) महामारी के रोकथाम हेतू लागू किए गए लॉकडाउन से बिहार के विभिन्न शहरों में फँसे बिहार के लोगों तथा अन्य राज्यों में फँसे बिहार के लोगों के आवासन एवं खाने की व्यवस्था हेतु आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना तथा स्थानिक आयुक्त,

नई दिल्ली के माध्यम से अन्य राज्यों के स्थानिक आयुक्त एवं संबंधित जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित कर **आपदा राहत केन्द्र** की स्थापना किये जाने हेतु तत्काल मुख्यमंत्री राहत कोष, बिहार से आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना को 100.00 करोड़ रू0 दिये जाने का निर्णय लिया गया।

साथ ही इस सचिवालय के पत्रांक–471170, दिनांक 28.03.2020 द्वारा बिहार फाउन्डेशन, बिहार, पटना को इस आपदा के राष्ट्रीय लॉकडाउन में अन्य राज्यों में फँसे बिहारी मजदूरों एवं लोगों को रहने एवं खाने की व्यवस्था करने का निदेश दिया गया। बिहार फाउन्डेशन द्वारा आपदा पीड़ितों पर किये गये व्यय की प्रतिपूर्ति मुख्यमंत्री राहत कोष से आपदा प्रबंधन विभाग को प्रदत्त राशि से की जानी है।

इसके अतिरिक्त कोरोना वायरस (COVID-19) के संक्रमण के फलस्वरूप लॉकडाउन की स्थिति में अन्य राज्यों में फँसे बिहार के लोगों को मुख्यमंत्री राहत कोष से स्वीकृत राशि से **"मुख्यमंत्री विशेष सहायता"** के रूप में रू0 1,000/– (एक हजार) प्रति व्यक्ति आपदा प्रबंधन विभाग के माध्यम से देने का निदेश दिया गया।

चिकित्सा हेतु राज्य से बाहर गए एवं लॉकडाउन के कारण फंसे लोगों को **अतिरिक्त विशेष सहायता** के रूप में रू0 1,000/–(एक हजार) प्रति व्यक्ति की सहायता मुख्यमंत्री राहत कोष द्वारा स्वीकृत राशि से वहाँ के जिला प्रशासन की अनुशंसा पर आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना के माध्यम से संबंधित जिला प्रशासन को दिये जाने का निर्णय लिया गया है।

उक्त कार्यो के लिए आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना से प्राप्त अधियाचना–पत्र एवं माननीय मुख्यमंत्री, बिहार के निर्णय के आलोक में मुख्यमंत्री राहत कोष से स्वीकृत कर भेजी गयी राशियों की विवरणी निम्नानुसार है :–

क्र०सं०	विभाग का नाम	स्वीकृत्यादेश सं0/तिथि	स्वीकृत राशि
1.	आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार	471168/26.03.2020	100.00 करोड़
2.	आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार	471191/13.04.2020	50.00 करोड़
3.	आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार	471195/17.04.2020	50.00 करोड
4.	आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार	471203/23.04.2020	50.00 करोड

अर्थात अबतक कुल रू0 **250.00 करोड़ (दो सौ पचास करोड़)** रू० की राशि विमुक्त कर आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना को भेजी गयी। आवश्यकतानुसार और भी राशि इस मद में दी जा सकेगी।

इसकी घटनोत्तर स्वीकृति न्यासी पर्षद से प्रार्थित है।

स्वीकृत।
साथ ही, आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा बैठक के दौरान दिये गये मांग के अनुरूप न्यासी पर्षद द्वारा 50 करोड़ रू0 की अतिरिक्त राशि आपदा प्रबंधन विभाग को दिये जाने का निर्णय लिया गया।

20. **(क)** प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा) बिहार, पटना द्वारा मुख्यमंत्री राहत कोष से संबंधित निरीक्षण प्रतिवेदन के आलोक में मुख्यमंत्री राहत कोष की रोकड़ पंजी एवं बैंक समाशोधन कार्य हेतु चाटर्ड एकाउन्टेंट फर्म को लेखा शाखा द्वारा भुगतान की गयी राशि 99,120/–(निन्यानवे हजार एक सौ बीस) रू0 को मुख्यमंत्री राहत कोष से लेखा शाखा में हस्तांतरित किये जाने के प्रस्ताव पर न्यासी पर्षद का अनुमोदन प्रार्थित है।

(ख) इसके अलावा मुख्यमंत्री राहत कोष के वेबपोर्टल का Security Audit कराने से संबंधित विपत्र की राशि 77,522/–रू0 मात्र का भुगतान बेल्ट्रॉन, पटना को लेखा शाखा द्वारा किया गया है। उक्त राशि को मुख्यमंत्री राहत कोष से लेखा शाखा में हस्तांतरित किये जाने के प्रस्ताव पर न्यासी पर्षद का अनुमोदन प्रार्थित है।

(ग) वर्तमान में मास इन्फोसोल्यूसन्स द्वारा मुख्यमंत्री राहत कोष की वेबसाईट के साथ मुख्यमंत्री सचिवालय से संबंधित अन्य वेबसाईटों के ऑपरेशन एण्ड मेन्टेनेन्स के लिए व्यय की गयी राशि का भुगतान लेखा शाखा द्वारा किया जा रहा है। मुख्यमंत्री राहत कोष की वेबसाईट के ऑपरेशन एण्ड मेन्टेनेन्स पर व्यय की जा रही राशि 4,76,720/–(चार लाख छिहत्तर हजार सात सौ बीस) रू0 प्रति वर्ष का भुगतान मुख्यमंत्री राहत कोष से किये जाने के प्रस्ताव पर न्यासी पर्षद का अनुमोदन प्रार्थित है।

इस संबंध में वित्त विभाग के परामर्श के अनुसार सदस्य सचिव द्वारा अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी।

21.	मुख्यमंत्री राहत कोष के लेखा के सुव्यवस्थित संधारण हेतु एवं पारदर्शिता के मद्देनजर वित्तीय वर्ष 2015–16, 2016–17 एवं 2017–18 का विशेष आंतरिक अंकेक्षण के दौरान निबंधित चार्टड एकाउन्टेंट एस. के. पटौदिया एण्ड एसोसिएट्स, पटना द्वारा आयकर विभाग में समय–समय पर आवेदन इत्यादि जमा करने तथा Hearing इत्यादि में उपस्थित होने के पश्चात् उक्त फर्म द्वारा समर्पित विपत्र कुल 75,000/–रू0 (पचहत्तर हजार) मात्र का भुगतान मुख्यमंत्री राहत कोष से किया जा चुका है। उक्त भुगतान की गयी राशि की जी0एस0टी0 राशि 13,500/–रू0 के साथ वर्ष 2017–18 के आंतरिक अंकेक्षण कार्य एवं रिटर्न फाइल करने में किये गये कार्य के पश्चात् उक्त फर्म द्वारा समर्पित विपत्र के विरूद्ध 25,000+4500 (जी0एस0टी0) = 29,500/–रू0 अतएव **कुल 43,000/–रू0 (तैंतालीस हजार रूपया)** मात्र रू0 की राशि मुख्यमंत्री राहत कोष से विमुक्त कर संबंधित फर्म को भेजी गयी। इसकी घटनोत्तर स्वीकृति न्यासी पर्षद से प्रार्थित है।	स्वीकृत।
22.	भविष्य में मुख्यमंत्री राहत कोष, बिहार के अंकेक्षण कार्य एवं अन्य कार्य हेतु भुगतान की जाने वाली राशि का वहन मुख्यमंत्री राहत कोष, बिहार के खाते से ही किया जायेगा। इसकी स्वीकृति न्यासी पर्षद से प्रार्थित है।	इस संबंध में वित्त विभाग के परामर्श के अनुसार सदस्य सचिव द्वारा अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी।
23.	मुख्यमंत्री राहत कोष नियमावली के अन्तर्गत मुख्यमंत्री राहत कोष के सदस्य–सचिव द्वारा आकस्मिक व्यय की सीमा राशि 1.00 लाख (एक लाख) रू0 प्रति वर्ष को बढ़ाकर राशि 5.00 लाख (पाँच लाख) रू0 प्रति वर्ष किये जाने के प्रस्ताव पर न्यासी पर्षद का अनुमोदन प्रार्थित है।	सदस्य सचिव द्वारा प्रस्ताव को वापस लिया गया।
24.	**अन्यान्य :–1.** न्यासी पर्षद की 12वीं बैठक में लिये गये निर्णयानुसार 'मुख्यमंत्री कालाजार राहत योजना' के तहत राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना को रू0 10.00 करोड़ की राशि स्वीकृत की गयी थी, जो रिवाल्विंग फण्ड के रूप में रखी गयी है। इस फण्ड का 75 प्रतिशत राशि व्यय हो जाने की दशा में पुनः 10.00 करोड रू0 की राशि उपलब्ध करायी जा सकती है। प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना द्वारा बताया गया कि इस योजना में राशि 8,67,20,656/–रू0 का व्यय हुआ एवं राशि 3,06,69,581/–रू0 मात्र शेष हैं। सूचना न्यासी पर्षद द्वारा ग्रहण किया गया। **2.** श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–4106, दिनांक 27.09.2016 तथा न्यासी पर्षद की 16वीं बैठक में लिये गये निर्णयानुसार 'बालश्रम से मुक्त कराये गये एवं CLTS (Child Labour Tracking System) में दर्ज बाल श्रमिकों की अगामी पाँच वर्षों में विमुक्त होने वाले बाल श्रमिकों की संभावित संख्या के आधार पर मुख्यमंत्री राहत कोष से वर्ष 2016–17, 2017–18 एवं 2018–19 प्रति वर्ष 1.75 करोड़ की दर से कुल 5.25 करोड़ रू0 श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को भेजी जा चुकी है। श्रम संसाधन विभाग के प्रतिवेदन अनुसार उक्त राशि में से 1555 बाल श्रमिकों पर प्रति व्यक्ति 25,000/–रू0 की दर से 3,88,75,000/–रू0 व्यय किया जा चुका है एवं शेष राशि 1,36,25,000/–रू0 विभाग में शेष है। सूचना न्यासी पर्षद द्वारा ग्रहण किया गया।	

23/05/2020

(चंचल कुमार)
मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव–सह–
सदस्य सचिव, न्यासी पर्षद,
मुख्यमंत्री राहत कोष, बिहार

ज्ञापांक–सा०–480 / 2013–471224 / मु०मं०स०, पटना, दिनांक – 24-05-2020
प्रतिलिपि :–

1. माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव, पटना।
2. माननीय मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार के आप्त सचिव, पटना।
3. मुख्य सचिव, बिहार, पटना।
4. पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना।
5. अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।
6. महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव, बिहार, पटना।
7. प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना।
8. प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना।
9. प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना।
10. प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।
11. प्रधान सचिव के आप्त सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना।

23/05/20
(अनुपम कुमार)
सचिव,
मुख्यमंत्री सचिवालय